न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना – कुचामन) राज.
पीठासीन अधिकारी :– बलबीर सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
प्रेमचन्द पुत्र आशाराम मेघवाल निवासी मेंहगाव तह. परबतसर		1. नानूराम पुत्र श्रवणराम जाट 2. बिदामी पत्नी दयालराम जाट श्रवणराम पुत्र शिवनाथ फौत वारिस अ.प्रा. 1 नानूराम पुत्र श्रवणराम जाट 3. उमाराम पुत्रखुमानराम जाट निवासी चारणों की ढाणी मेहगांव 4 शाखा प्रबन्धक (एस.बी.बी.जे.) परबतसर

प्रार्थना बाबत :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए
उपस्थित :– श्री तिलोकनाथ , अधिवक्ता प्रार्थी
श्री गजराज चौहान, अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1, 2

मुकदमां नम्बर :– 2018/00118 निर्णय दिनांक :–31/1/24

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री तिलोक नाथ ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम मेंहगांव के खसरा नम्बर 87 रकबा 2.90 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में आयी हुई है। जिसके चारो तरफ कोई कटाणी रास्ता नहीं है, जिससे प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग करने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम मेहगांव के खसरा नम्बर 92 गै. मु. सड़क से खसरा नम्बर 91 के दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे नजदी नक्शे में दर्शि ए से डी बिन्दू तक गै.मु. रास्ता हकत्याग से घोषित हो रखा है अब खसरा नम्बर 78 रकबा 7.88 हैक्टयर की उत्तरी सीमा से होकर 15 फुट चौडा रास्ता पश्चिमी में पूर्व खसरा नम्बर 87 के उत्तरी पश्चिमी कोने तक सम्पूर्ण लम्बाई का नजरी नक्शा परिशिष्ठ ''क'' के अनुसार सी से डी मार्क क दिलवाये जाने की मांग की है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 3, 4 के नोटिस तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गजराज चौहान ने वकलातनामा पेश किया। अप्रार्थी 2 की ओर से बार बार समय दिया जाने के बाजवूद जबाब पेश नहीं करने पर जबाब बन्द किया गया। अप्रार्थी 1 की ओर से जबाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी जानबुझकर अपनी सम्पूर्ण जमीन का ब्यौरा नहीं दिया जबकि प्रार्थी की जमीन खसरा नम्बर 100, 83 वगैराह में भी प्रार्थी की भूमि आती है जिस प्रार्थी ने छुपाया है। प्रार्थी अपनी खातेदारी में खसरा नम्बर 98 से होकर आता है जिनको प्रार्थी ने पक्षकार नहीं

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना - कुचामन)

बताया है। प्रार्थी अप्रार्थी की स्वंय की खरीद सुदा रास्ते को जबरन हड़पना चाहता है जबकि प्रार्थी के खसरा नम्बर 88 की जमीन नजदीक पड़ती है, लेकिन खसरा नम्बर 88 के खातेदारो को जानबुझ कर पक्षकार नहीं बताया है इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 98 की जमीन प्रार्थी के खेत के नजदीक है खसरा नम्बर 100 प्रार्थी का तथा खसरा नम्बर 86, 87 की प्रार्थी का है। प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने से प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है खारिज फरमाया जावें।

3. हमने प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया।

4. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी सम्वत 2070–73 प्रस्तुत की है जिसके अनुसार ग्राम मेहगांव के खसरा नम्बर 87 की खातेदारी सत्यानारायण, प्रेमचन्द पि. आशाराम जाति मेघवाल निवासी परबतसर के नाम दर्ज रिर्काड है। प्रार्थी ने खसरा नम्बर 92 से खसरा नम्बर 91 के दक्षिणी सीमा के सहारे – सहारे मार्क "ए से डी बिन्दू तक गै.मु. रास्ता हकत्याग से घोषित होना बताया है। जमाबन्दी के अनुसार खसरा नम्बर 92 रकबा 0.07 गै.मु. सड़क किस्म दर्ज है लेकि उक्त भूमि श्रेणीदान, देवीदान पि. चतरदान 3/4 , श्रेणीदान पि. चतरदान 1/4 हिस्सा खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है, इसी प्रकार खसरा नम्बर 91 रकबा 1.95 हैक्टयर में से श्रेणीदान, देवीदान पि. चतरदान के खसरा नम्बर 91/1 रकबा 0.0786 हैक्टयर राज्य सरकार को समर्पण की गई है। खसरा नम्बर 76, 77, 78 कुल रकबा 9.02 हैक्टयर भूमि नानूराम पुत्र श्रवणराम जाट सा. देह 3.0351 हैक्टयर, बिदामदेवी पत्नी दयालराम कौम जाट सा. देह रकबा 0.8093 हैक्टयर हिस्सा 3/7 व श्रवणराम पुत्र शिवनाथ हिस्सा3/7, उमाराम पुत्र खुमाराम 1/7 जाति जाट सा. पीपलाद के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमें से श्रवणराम ने अपना हिस्सा नानूराम पुत्र श्रवणराम को हकत्याग कर दिया है तथा नानू पुत्र श्रवण के द्वारा बैचान करने पर नन्दूकंवर पत्नी देवीदान जाति चारण 1.2140 हैक्टयर भूमि खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 87 में खसरा नम्बर 78 की उत्तरी सीमा पर रास्ते की मांग की है। मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मेहगांव के खसरा नम्बर 84, 85, 86, 87 व 100 प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है, प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु मौका रिपोर्ट में तीन विकल्प दिये है। जिनमें खसरा नम्बर 91/1 जो राजकीय भूमि है में से मार्क "ए से बी" खसरा नम्बर 78 की उत्तरी सीव पर जहां से प्रार्थी ने मांग की है उसकी लम्बाई 170 मीटर है, खसरा नम्बर 91/1 राजकीय भूमि से ही मार्क "सी से डी" खसरा नम्बर 99, 99 में से खसरा नम्बर 100 तक की लम्बाई 154 मीटर है इसी प्रकार खसरा नम्बर 98 की भूमि में से मार्क "ई, एफ, जी" की लम्बार 158 मीटर है। प्रार्थी की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 100, 87, 86, 84, 85 आपस में लगती हुई है। जिससे प्रार्थी की खातेदारी सुदा भूमि के सबसे नजदीकी रास्ते का विकल्प मार्क "सी से डी" खसरा नम्बर 88, 99 से होकर मौजूद है जिसकी लम्बाई 154 मीटर ही है, प्रार्थी ने खसरा नम्बर 78 में से खसरा नम्बर 87 तक मार्क "ए से बी" जो मांग की गई है मौका रिपोर्ट के अनुसार उसकी लम्बाई सबसे अधिक है। अप्रार्थी 1 ने अपने जबाब में जो कथन

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना - कुचामन)

उठाया है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा 100 भी है जिसको प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में छुपाया है यह कथन मौका रिपोर्ट से साबित होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए में प्रतिपादित नियमों के तहत किसी खातेदारी की भूमि के चारो तरफ रास्ता नहीं लगता है न ही कोई रास्ते का विकल्प मौजूद हो, तो सबसे नजदीकी कटाणी रास्ते से मांग कर सकता है। लेकिन प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में तथ्य छुपाकर अधिक दूरी वाले रास्ते की मांग की है, जिसका भी कोई उचित कारण अपने प्रार्थना पत्र में नहीं बताया है। प्रार्थी को अप्रार्थी 1 के जबाब एवं पत्रावली में मौका रिपोर्ट शामिल होने पर यह जानकारी हो चुंकि थी कि ओर भी नजीदीकी रास्ते के विकल्प मौजूद है, लेकिन प्रार्थी ने अन्य नजदीकी रास्ते के विकल्प वाले खसरान के खातेदारो को पक्षकार नहीं बनाया है ना ही रास्ते की मांग की गई है, खसरा नम्बर 78 में नन्दूकंवर पत्नी देवीदान चारण निवासी मेहगांव जो सह ,खातेदार है को भी इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिससे भी प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी ने तथ्य छुपा कर लम्बी दूरी से रास्ते की मांग की गई तथा जहां नजदीकी कटाणी रास्ते का विकल्प मौजूद है वहां से न तो रास्ते की मांग की ना ही उन्हें इस प्रार्थना पत्र में पक्षकारा बनाया गया गया है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए साबित करने में असमल रहा है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 31/1/24 ...को खुले न्यायालय में सुना गया।

(बलबीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नीम्बाहेडा - कुचामन)